



Helpline

1064



94135-02834

कार्यालय महानिदेशक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (जनसम्पर्क प्रकोष्ठ)

प्रेस नोट

- उदयपुर में ग्राम पंचायत सरपंच 25 हजार रुपये रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार
- आवास एवं अन्य ठिकानों की तलाशी जारी

जयपुर, 22 फरवरी, गुरुवार / ए.सी.बी. मुख्यालय के निर्देश पर उदयपुर एसयू इकाई द्वारा आज कार्यवाही करते हुये हीरालाल सरपंच ग्राम पंचायत उमरडा पंचायत समिति गिर्वा जिला उदयपुर को परिवादी से 25 हजार रुपये रिश्वत राशि लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया है।

भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो की उदयपुर एसयू इकाई को परिवादी द्वारा शिकायत दी गई कि मैं अपनी भूमि पर इंडस्ट्री लगवाना चाहता हूँ, जिस हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी करने की एवज में आरोपी सरपंच द्वारा 1 लाख रुपये रिश्वत राशि की मांग कर परेशान किया जा रहा है।

जिस पर एसीबी उदयपुर के उप महानिरीक्षक पुलिस श्री राजेन्द्र प्रसाद गोयल के सुपरविजन में एसीबी उदयपुर एसयू इकाई के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्री उमेश ओझा के निर्देशन में शिकायत का सत्यापन करवाने पर आरोपी द्वारा परिवादी से 25 हजार रुपये रिश्वत राशि की मांग करना पाये जाने पर आज श्री रत्नसिंह राजपुरोहित पुलिस निरीक्षक मय टीम द्वारा ट्रैप कार्यवाही करते हुए आरोपी सरपंच को परिवादी से 25 हजार रुपये की रिश्वत राशि लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया है।

एसीबी के उप महानिरीक्षक पुलिस श्री राजेन्द्र प्रसाद गोयल के निर्देशन में आरोपी से पूछताछ तथा आवास एवं अन्य ठिकानों की तलाशी जारी है। एसीबी द्वारा मामले में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के अन्तर्गत प्रकरण दर्ज कर अग्रिम अनुसंधान किया जायेगा।

भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो द्वारा समस्त प्रदेशवासियों से अपील की है कि भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो की टोल-फ्री हैल्पलाईन नं. 1064 एवं WhatsApp हैल्पलाईन नं. 94135-02834 पर 24X7 सम्पर्क कर भ्रष्टाचार के विरुद्ध अभियान में अपना महत्वपूर्ण योगदान दें। एसीबी आपके वैध कार्य को करवाने में पूरी मदद करेगी।